इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 477] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 29 नवम्बर 2016—अग्रहायण 8, शक 1938

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 नवम्बर 2016

क्र. एफ 3-100-2010-बत्तीस.—रियल एस्टेट (रेग्यूलेशन् एण्ड डेवलपमेंट) अधिनियम, 2016 (2016 का 16) की धारा 84 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) नियम, 2016 में, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 20 में, उपनियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम स्थापित किया जाये, अर्थात्:—

"(1) विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष का वेतन राज्य के मुख्य सचिव के वेतन के समतुल्य होगा और भत्ते, अन्य परिलब्धियां तथा सेवा शर्तें वहीं होंगी जो राज्य के निर्वाचन आयुक्त को अनुज्ञेय है. पूर्णिकालिक सदस्य के वेतन, भत्ते और अन्य परिलब्धियां, विनियामक प्राधिकरण के सदस्य के रूप में उसकी नियुक्ति के पूर्व ऐसे व्यक्ति को अनुज्ञेय अंतिम आहरित वेतन, भत्ते और अन्य परिलब्धियों के समतुल्य होंगे:

परन्तु यदि अध्यक्ष या पूर्णकालिक सदस्य, उसकी नियुक्ति के समय नि:शक्तता अथवा अपंगता पेंशन को छोड़कर, भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के अधीन उसके द्वारा की गई पूर्व सेवा के संबंध में पेंशन प्राप्त कर रहा है तो यथास्थिति, अध्यक्ष या सदस्य के रूप में उसके वेतन में से पेंशन की राशि कम की जायेगी, जिसमें पेंशन का वह भाग जिसे संराशित किया गया था, सम्मिलित है तथा समतुल्य पेंशन या सेवानिवृत्ति उपादन को छोड़कर, सेवानिवृत्ति के लाभों के अन्य प्रकारों के समतुल्य पेंशन को घटाकर दिया जायेगा."

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. के. साधव, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 29 नवम्बर 2016

क्र. एफ 3-100-2010-बत्तीस.—भारत के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में नगरीय विकास एवं आवास विभाग की अधिसूचना दिनांक 29 नवम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. के. साधव, उपसचिव.

Bhopal, the 29th November 2016

No. F-3-100-XXXII-2010.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 84 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 (16 of 2016) the State Government, hereby makes the following amedment in the Madhya Pradesh Real Estate (Regulation and Development) rule, 2016, namely:—

AMENDMENT

In the said rules, in rule 20, for sub-rule (1), the following sub-rules shall be substituted, namely:—

"(1) The Salary of Chairperson of the Regulatory authority shall be equivalent to the salary of the Chief Secretary of the State and Allowances, other perquisites and service condition shall be same as admissible to Election Commissioner of the State. The salary, allowances and other perquisites of the whole time member shall be equivalent to the last drawn salary, allowances and other perquisites admissible to such person prior to his appointment as Member to the Regulatory Authority:

Provided that if the Chairperson or whole time member, at the time of his appoinement, is in receipt of a pension, other than a disability or wound pension, in respect of any previous service rendered by him under the Government of India, or under the Government of a state, his salary in respect of the service as the Chairperson or the Member as the case may be shall be reduced from the amount of the pension including any portion of pension which was commuted and pension equivalent of other forms of retirement benefits exculding pension equivalent or retirement gratuity."

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
C. K. SADHAV, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2016.